प्रेषक,

श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2. आयुक्त,
कुमायूँ तथा गढ़वाल मण्डल ।
3. संभागीय खाद्य नियंत्रक
कुमायूँ एवं गढ़वाल संभाग
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. समस्त जिलाधिकारी (पर्वतीय)
उत्तर प्रदेश ।
6. सहायक आयुक्त (खाद्य)
कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल ।
7. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी (पर्वतीय)
उत्तर प्रदेश ।
8. उप संभागीय नियंत्रण अधिकारी
कुमायूँ तथा गढ़वाल मंडल ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 20 मई, 1999

विषय:-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों के लिए खाद्यान्न/चीनी के उठान एवं वितरण का नया रोस्टर ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-2847/29-खा-6-98-121सा/98, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 द्वारा पूरे प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न/चीनी के उठान एवं वितरण का रोस्टर निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार अगले माह का गेहूँ/चावल/लेवी चीनी राशन के दुकानदारों द्वारा चालू माह की 23 तारीख से 30/31 तारीख तक अनिवार्य रूप से उठाकर अपनी दुकान

-----2-

307

पर ले जाने की व्यवस्था की गई है ताकि अगले माह की पहली तारीख से ही उपभोक्ताओं को सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो सके ।

2. पर्वतीय क्षेत्र के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधि द्वारा यह मांग की गई है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक व अन्य परिस्थिति को देखते हुए राशन की समस्त सामग्री एक बार में ही दुकान पर ले जाने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं और इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों के लिए एक से अधिक बार में राशन की सामग्री उठाने की छूट दी जानी चाहिए । जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में निम्न व्यवस्था के अनुसार दो बार में राशन की सामग्री उठाने की अनुमति दी जाय :-

(1) पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों के लिए राशन के दुकानदारों द्वारा अगले माह उठान किये जाने वाले गेहूँ/चावल/लेवी चीनी के पूरे मूल्य का 50% अनिवार्य रूप से चालू माह की 23 तारीख तक खाद्य विभाग की विपणन शाखा में जमा कराया जायेगा । राशन के दुकानदारों द्वारा समय से धनराशि जमा कराने का उत्तरदायित्व जिला पूर्ति अधिकारियों का होगा और यदि कोई राशन का दुकानदार समय से उपरोक्त 50% धनराशि जमा नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(2) चालू माह की 23 तारीख से 30/31 तारीख तक राशन के दुकानदारों द्वारा अगले माह वितरित होने वाले गेहूँ/चावल/लेवी चीनी के 50% का उठान अनिवार्य रूप से किया जायेगा और अपनी-अपनी दुकानों पर पहुँचाया जायेगा । दुकानदारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह की पहली तारीख से गेहूँ/चावल/चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से आरम्भ हो जाये ।

(3) माह के शेष 50% गेहूँ/चावल/लेवी चीनी का पैसा राशन के दुकानदार द्वारा चालू माह की पहली तारीख से 10 तारीख तक

खाद्य विभाग की सिविल ग्रह शाखा में जमा किया जायेगा माह की 10 तारीख तक ही इस 50% शेष राशन की सामग्री उठान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा । दुकानदार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि चालू माह की 23 तारीख तक सभी उपभोक्ताओं को उस माह की राशन सामग्री पूरी तरह उपलब्ध हो जाय ।

(iv) जो राशन के दुकानदार एक बार में ही राशन की पूरी मात्रा उठाकर अपनी दुकान पर ले जाना चाहते हैं उनके एक बार में पैसा जमा करने व राशन उठाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

(v) शेष व्यवस्था पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 199[illegible] के अनुसार ही रहेगी ।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

[illegible]

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
सचिव ।

30[illegible]